मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ–12–36/2015/नियम/चार/ भोपाल, दिनांक 15/9/2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय :– न्यायालयीन प्रकरणों में राज्य शासन का पक्ष समर्थन।

....

यह अनुभव किया गया है कि राज्य शासन के विरूद्व माननीय न्यायालयों में प्रस्तुत प्रकरणों में राज्य शासन के पक्ष समर्थन हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारियों द्वारा वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के संबंध में तार्किक रूप से स्थिति स्पष्ट न कर सकने के कारण कई प्रकरणों में राज्य शासन के पक्ष में निर्णय नही हुआ है। परिणमतः राज्य शासन को आर्थिक क्षति की स्थिति निर्मित हुई है।

2. यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है एवं यह आवश्यक है कि प्रभारी अधिकारियों द्वारा माननीय न्यायालय में राज्य शासन के पक्ष समर्थन में सामयिक एवं प्रभावी कार्यवाही की जाये।

3 म0प्र0शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 13–27/2002/ ई/चार दिनांक 20–12–2002 के पैरा–5 व 6 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध है कि ऐसे न्यायालयीन प्रकरण जिनमें वित्तीय नियमों के बिन्दु निहित है, न्यायालय में उनके प्रतिरक्षण हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाये कि इन बिन्दुओं पर विभाग में पदस्थ वित्तीय सलाहकार/मध्यप्रदेश वित्त सेवा अधिकारी से आवश्यक रूप से परामर्श प्राप्त किया जाये। वित्तीय सलाहकार/ मध्यप्रदेश वित्त सेवा अधिकारी आवश्यक होने पर वित्त विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

(अजय नाथ)
अपर मुख्य सचिव 8/9/15
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ–12–36 / 2015 / नियम / चार / भोपाल, दिनांक 15/9/2015

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा संचालनालय भोपाल
2. समस्त वित्तीय सलाहकार अधिकारी मध्यप्रदेश
3. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश

(मिलिन्द वाईकर)
अपर सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग